न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–154 / 2022

1. लिलासिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी निवासी 26 केवाईडी खाजूवाला।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश   **दिनांक :–31.10.2022**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम चक 26 केवाईडी के मु0नं0 59 / 49 के किला नं0 1 ता 25 में 22.15 बीघा कमाण्ड भूमि भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी के नाम से पुख्ता आवंटन हुई। आवंटन के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रार्थी भागसिंह के नाम से दर्ज कर दी गई। उक्त रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम भागसिंह पुत्र भारासिंह जाति मजहबी दर्ज कर दिया। जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाकर भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 1874 दिनांक 16.8.22 बाद उक्त प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी भागसिंह पुत्र भारासिंह जाति मजहबी सा0 11 एच तहः करनपुर पुख्ता आवंटन चक 26 केवाईडी मु0नं0 59 / 49 किला नं0 1 ता 25 में कुल 5.5640 है0 कमाण्ड मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी द्वारा नाम शुद्धि के लिये आवेदन किया है। संलग्न आवंटन खारिज बहाली आदेश क्रमांक 8930–32 दिनांक 16.09.80 की छायाप्रति में प्रार्थी का नाम भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी सा0 26 केवाईडी दर्ज है। तत्पश्चात, गिरदावरी सम्वत् 2027–30 में सम्वत् 2028 में उक्त मु0नं0 59 / 49 अराजीराज से भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति हरिजन के नाम से दर्ज हुआ जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। तत्पश्चात उक्त गिरदावरी सम्वत् 2029 में नोट अंकित करते समय प्रार्थी का नाम भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति हरिजन दर्ज कर दिया गया जिसे संशोधित किया जाना उचित है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कोई स्थगन आदेश नहीं है और मौके पर कोई विवाद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में गिरदावरी नकल सम्वत् 2027–30, 2036–2039 तथा उक्त रकबे से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली प्रस्तुत की जिसके आवेदन पत्र, शपथपत्र नोटिस में भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति हरिजन (मजहबी) अंकित है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे मूल आवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली नकल और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली में आवेदन पत्र, शपथपत्र नोटिस में भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति हरिजन (मजहबी) अंकित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थी के दादा का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम भारासिंह की जगह माणकसिंह उर्फ भारासिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ख